रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 358] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 7, 2005/चैत्र 17, 1927
No. 358] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 7, 2005/CHAITRA 17, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2005

स्टाम्प

का.आ. 522(अ).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (i) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पहली मार्च, 2004 से भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के आदेश संख्या 130(अ), दिनांक 28 जनवरी, 2004 में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत: :—

उक्त आदेश में सारणी के अंत में आने वाले परन्तुक के लिए निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: :—

"बशर्ते कि अनुच्छेद 13 में मद (ख) और (ग) के लिए हुण्डियों पर कालम (2) में और अनुच्छेद 49 की मद (ख) में प्रामिसरी नोट पर निर्दिष्ट स्टाम्प शुल्क की दरें (क) वास्तविक वाणिज्यिक अथवा व्यापारिक लेन-देनों, (ख) मौसमी कृषि कार्य अथवा फसलों के विपणन, अथवा (ग) कुटीर और लघु उद्योगों की उत्पादन अथवा विपणन गतिविधियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, राज्य वित्तीय निगमों, वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों से वित्त प्राप्त करने के लिए लिखी गई मियादी हुण्डियों अथवा किए गए प्रामिसरी नोटों पर लागू नहीं होगी और ऐसे प्रपत्रों पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की अनुसूची I के अनुच्छेद 13 के में मद (ख) और (ग) के सामने कालम (2) में और अनुच्छेद 49 में मद (ख) में उल्लिखित दर का 1/5 स्टाम्प शुल्क की दर लगेगी।"

[फा. सं. 33/37/2004-बि.क.]

आर. जी. छाबड़ा, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3 उपखण्ड (ii) में सं. का.आ. 130(अ) दिनांक 28 जनवरी, 2004 द्वारा प्रकाशित हुआ था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 7th April, 2005

STAMPS

S.O. 522(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby makes the following amendment, with effect from the 1st March, 2004, in the Order of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 130(E), dated the 28th January, 2004, namely :—

In the said Order, for the proviso occurring at the end of the Table, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that rates of stamp duty specified in column (2) on Bills of Exchange for items (b) and (c) in Article 13 and on promissory note for item (b) of Article 49 shall not apply to usance bills of exchange or promissory notes drawn or made for securing finance from Reserve Bank of India, Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, State Financial Corporations, Commercial Banks and Cooperative Banks for (a) bona fide commercial or trade transactions, (b) seasonal agricultural operations or the marketing of crops, or (c) production or marketing activities of cottage and small scale industries and such instruments shall bear the rate of stamp duty at one-fifth of the rate mentioned in column (2) against items (b) and (c) in Article 13 and item (b) in Article 49 of Schedule I of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899)."

[F. No. 33/37/2004-ST]

R. G. CHHABRA, Under Secy.

Note : The Principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* No. S.O. 130(E) dated 28th January, 2004.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.